


05.2.2025

2024/634

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
विकास बनाम ओमप्रकाश आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 468 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.09.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.10.2024 को पेश हो।</p> <p>21.10.2024 वार संघ का कार्य स्थगन होने पर पत्रावली पूरानुसार दिनांक 20/12/24 को पेश हो।</p>	
20/12/24	<p>1 कुलाए 10 सेकन उपस्थित/PU साइड अफ सरत पत्रावली है। पत्रावली 20/12/24 को पेश हो। गस्त 20/12/24 दिनांक 20/12/24 को पेश हो</p>	
30/12/24	<p>1 कुलाए 10 सेकन उपस्थित/PU साइड अफ सरत पत्रावली है। पत्रावली 30/12/24 को पेश हो। गस्त 30/12/24 दिनांक 30/12/24 को पेश हो</p>	
7.1.2025	<p>1 कुलाए 10 सेकन उपस्थित/PU साइड अफ सरत पत्रावली है। पत्रावली 7/1/2025 को पेश हो। गस्त 7/1/2025 दिनांक 7/1/2025 को पेश हो</p>	
05.2.2025	<p>15/01/2025 कुलाए 10 सेकन उपस्थित/PU साइड अफ सरत पत्रावली है। पत्रावली 15/01/2025 को पेश हो। गस्त 15/01/2025 दिनांक 15/01/2025 को पेश हो</p> <p>वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मिलावट पेश की पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया वकील वादी ने जिवेदन किया कि वाद पत्र में दावा नामा होने के कारण वाद पत्र अग्रे नहीं चलाना चाहे है। भौतिका प्रियमि में जारी न किया जाता है। पत्रावली जम्पर से अलग की जाकर वाद तारीख तारीख जासा शामिल हुक्म हो।</p>	<p>उक्त प्रमाण आदि पत्रावली व की वादी बिना</p> 

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर